भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

(प्रकरण कमांक FP/MP/ROAD/155507/2022)

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें।	जी नही।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	क्षेत्रीय महाप्रबंधक जयंत परियोजना एन.सी.एल. जिला सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के वनमंडल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बैढ़न अंतर्गत मार्ग निर्माण में कक्ष क्रमांक आर.एफ. 274 रकबा 0.238 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है। वनण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष कमांक आर.एफ. 274 प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर मे सम्मिलित है। वनमण्डल की कार्यआयोजना मे हाथी कारीडोर के संबध मे निम्नानुसार प्रावधान है। (अ) 2.47 (9) कारीडोर मे किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता मे व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी, भवन निर्माण , डिपो की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे। (ब) 2.47 (10) कारीडोर मे स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किये जाये । यदि एसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम हाथी कारीडोर की स्थापना की जाये। कार्य आयोजना के उक्त प्रावधानो का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय महाप्रबंधक जयंत परियोजना एन.सी.एल. जिला सिंगरौली को मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी उपरोक्त शर्त का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक जयंत परियोजना एन.सी.एल. जिला सिंगरौली को मार्ग निर्माण हेतु 0.238 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 14 / 06 / 2022

स्थान: रीवा

14.6.2022

(आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)

मुख्य वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)